



सूचना  
का अधिकार

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सादामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/M-36a  
Dated : 4 September, 2019

**Mrs. Leela Bhai Chandra,**  
W/o late Shri Hari Charan, Village- Katov, Post Office - Kansa, Tehsil- Dabhara, Distt. Janjgir-Champa  
Chattisgarh- 495688,

**Sub.: Information under Right to Information Act, 2005.**

Sir/Madam,

This has reference to your RTI request dated 9 August, 2019 for providing information under RTI Act, 2005.


The desired information is attached at Annexure-I.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

**Shri Sanjeev Singh,**  
Executive Director (CMG) & Appellate Authority  
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited  
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.  
Email ID: sanjeev@powergridindia.com  
Phone No. 0124-2571962

Thanking you,

भवदीय,

  
(जसबीर सिंह) 4/9/19

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

1	वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 में केंद्र सरकार (अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार) के उस आदेश की कॉपी उपलब्ध करायी जाए जिसमें केंद्र सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रमों को पेंशन खत्म या बंद करने का आदेश जारी किया था, की सत्यापित छायाप्रती उपलब्ध करायी जाए ।
उत्तर	यह सूचना पावरग्रिड के पास उपलब्ध नहीं है।
2	वर्ष 2007 में पेंशन संबंधी सूप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी जिसमें सूप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों को पेंशन बहाल करने को निर्णय दिया था, की सत्यापित छायाप्रती उपलब्ध करायी जाए ।
उत्तर	यह सूचना पावरग्रिड के पास उपलब्ध नहीं है।
3	सन 2007-2008 का वह आदेश जिसमें विद्युत मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ उपक्रमों को पुनः पेंशन बहाल करने का आदेश जारी किया था, की सत्यापित छायाप्रती उपलब्ध करायी जाए ।
उत्तर	यह सूचना पावरग्रिड के पास उपलब्ध नहीं है।

जात मंजु  
3/9/19